सर्व शिक्षा अभियान
उत्तर प्रदेश
सब पढ़ें सब बढ़ें
अपर परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक,

अपर राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जनपद- बदायूं, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, बिजनौर,
बुलन्दशहर, गाजियाबाद,जे0पी0 नगर लखीमपुर . लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद,
मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, सन्तकबीरनगर शाहजहांपुर
सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती।

पत्रांक: कौ0वि0कार्य0 / 819 /2010-11 दिनांक: 12 मई, 2010

विषय- [illegible] शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बच्चों के लिये कौशल विकास कार्यक्रम

महोदय/महोदया,

वर्ष 2010-11 की सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में भारत सरकार द्वारा 22 अल्पसंख्यक बाहुल्य फोकस ग्रुप जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के कौशल विकास हेतु नवाचारी कार्यक्रम स्वीकृत किया गया हैं। इस हेतु भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद हेतु रू0 4.00 लाख (प्रति जनपद 10-10 उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रति विद्यालय हेतु रू0 40 हजार) का वित्तीय प्राविधान स्वीकृत किया गया है।

कौशल विकास कार्यक्रम के संचालन हेतु निर्देश निम्नवत् है।

- 22 अल्पसंख्यक बाहुल्य फोकस ग्रुप जनपदों में प्रति जनपद ऐसे 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया जाये जिनमें अल्पसंख्यक बच्चों की संख्या अधिक हो तथा आवश्यक अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध हों।
- यथा सम्भव गत वर्ष के चयनित विद्यालयों में कौशल विकास कार्यक्रम का संचालन किया जाये। यदि गत वर्ष चयनित विद्यालय में उक्त कार्यक्रम संतोषजनक रूप से संचालित नहीं हुआ है अथवा विद्यालय में बच्चों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो उसके स्थान पर अन्य ऐसे विद्यालय का चयन किया जा सकता है जहाँ अल्पसंख्यक बच्चों की संख्या अधिक हो।

- कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रत्येक चयनित उच्च प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 50 बच्चों का नामांकन अनिवार्य है। उक्त उच्च प्राथमिक विद्यालय के समस्त बच्चों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जायेगा।
- चयनित समस्त ट्रेडों हेतु प्रति विद्यालय अधिकतम धनराशि रू0 40 हजार की सीमा तक ही अनुमन्य होगी।
- कौशल विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रशिक्षण चयनित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ही कराया जाये।
- स्थानीय आवश्यकता एवं बच्चों की अभिरुचि के आधार पर न्यूनतम 2 ट्रेड का चयन किया जाये। ट्रेड का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित निम्नवत् समिति से जनपद स्तर पर किया जाये। कौशल विकास कार्यक्रम हेतु प्रस्तावित ट्रेड का विवरण संलग्न है। (संलग्नक 1)

जनपद स्तरीय समिति

जनपद स्तर पर इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण हेतु समिति निम्नवत् है।

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य- सचिव
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
महाप्रबन्धक, जिला उद्योग अनुसंधान केन्द्र	सदस्य
सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान	सदस्य
जिला समन्वयक (वैकल्पिक शिक्षा)	सदस्य

कार्यदायी संस्था

- कौशल विकास कार्यक्रम हेतु निम्नलिखित विभागों /संस्थाओं में से कार्यदायी संस्था का चयन उपरोक्त समिति द्वारा किया जायेगा।
  1. नेहरू युवा केन्द्र संगठन
  2. आई0टी0आई0 तथा पॉलीटेक्निक
  3. जन शिक्षण संस्थान
  4. सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति
  5. यदि उक्त संस्थाओं द्वारा किसी कारणवश कार्यक्रम संचालन हेतु असमर्थता दर्शायी जाये तो उक्त के अतिरिक्त चयनित ट्रेड में विशेषज्ञता रखने वाली संस्था यथा खादी ग्रामोद्योग विकास, फल संरक्षण विभाग तथा ऐसे सरकारी मान्य विभाग जो कि कौशल विकास कार्यक्रम संचालित करने हेतु अधिकृत हो, द्वारा कार्यक्रम संचालन की संभावनायें ज्ञात कर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त चयनित किया जाये।

[illegible]

- [illegible] के ट्रेड सम्बन्धी उनकी अभिरुचि की जानकारी प्राप्त की जाय। सर्वाधिक रुचि वाले ट्रेड का प्रस्ताव चयन हेतु जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।
- सम्बन्धित संस्थाओं से प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु निम्न बिन्दुओं पर प्रस्ताव प्राप्त किये जायें।
  - संस्था का नाम एवं पूरा पता।
  - संस्था की संवैधानिक एवं अनुभव सम्बन्धी पृष्ठभूमि।
  - [illegible] के पास उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधन।
  - प्रशिक्षण की अवधि एवं उसका दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक विभाजन।
  - प्रस्तावित ट्रेड का पाठ्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन व्यवस्था।
  - मदवार लागत एवं कुल बजट
  - प्रस्ताव सम्बन्धी अन्य बिन्दु स्थानीय आवश्यकता के अनुसार जोड़े जा सकते है।
- प्राप्त प्रस्तावों का विश्लेषण कर कार्यदायी संस्था के चयन हेतु पत्रावली जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाय।
- जिला स्तरीय समिति से चयनित संस्था को कार्य आदेश एवं स्वीकृत बजट की 40 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त कर कार्यक्रम संचालित कराया जाये।
- यदि कार्यदायी संस्था के रूप में ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति का चयन किया जाता है तो ट्रेड के चयन, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, अनुदेशक चयन, आदि प्रक्रिया के निर्धारण हेतु निम्नवत् [illegible] सदस्यीय उप समिति का गठन कर लिया जाये।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी	सदस्य
जिला समन्वयक (वैकल्पिक शिक्षा)	सदस्य सचिव
बी0आर0सी0 समन्वयक (उस ब्लाक का जहां कौशल विकास कार्यक्रम हेतु उच्च प्राथमिक विद्यालय का चयन किया गया) - 1	सदस्य
एन0पी0आर0सी0 समन्वयक (उस न्याय पंचायत का जहां कौशल विकास कार्यक्रम हेतु उच्च प्राथमिक विद्यालय का चयन किया गया) - 1	सदस्य

उपर्युक्त समिति कार्यक्रम के संचालन की रणनीति तय करेगी तथा ट्रेड के प्रशिक्षण हेतु अनुदेशक चयन, कच्चे माल की उपलब्धता, पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं संचालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्थायें ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति के [illegible] से सुनिश्चित करायेगी।

[illegible] की किश्त

[illegible] चयनित कार्यदायी संस्था को कार्यक्रम संचालन हेतु निम्नवत धनराशि [illegible] भुगतान किया जाय ।

किश्त	कुल बजट का प्रतिशत	कार्य
प्रथम किश्त	40%	चयनित कार्यदायी संस्था को कार्य आदेश के साथ।
द्वितीय किश्त	40%	प्रथम किश्त का उपभोग प्रमाण पत्र एवं सम्बन्धित उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक की संस्तुति प्राप्त होने पर
तृतीय किश्त	20%	कार्यक्रम की समस्त गतिविधियां पूर्ण होने, अद्यतन निर्गत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र तथा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर

कार्यक्रम का अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण

विद्यालय में उचित स्थान पर ट्रेड से सम्बन्धी पाठ्यक्रम एवं समय सारिणी का प्रदर्शन किया जाय।

- ट्रेड से सम्बन्धित पाठ्यक्रम, सप्ताह में प्रशिक्षण दिये जाने वाले दिनों की संख्या, प्रशिक्षण की कुल अवधि एवं पाठ्यक्रम के माहवार विभाजन की सूचना सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास, बी आर सी एवं जनपद स्तर पर उपलब्ध रहे ताकि अधिकारियों को निरीक्षण के समय उपलब्ध करायी जा सके।
- कार्यक्रम का प्रत्येक माह अनुश्रवण सम्बन्धित बी0आर0सी0, ए0बी0एस0ए0/ नगर शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- जिला समन्वयक (वैकल्पिक शिक्षा) द्वारा प्रत्येक विद्यालय का माह में न्यूनतम एक बार अवश्य निरीक्षण किया जाय एवं निरीक्षण आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित की जाये। (प्रारूप संलग्नक-2)
- संचालक संस्था द्वारा प्रधानाध्यापक की देखरेख में सम्बन्धित ट्रेड में बच्चों के सीखने की प्रगति का सतत् मूल्यांकन कराया जावे तथा उसका अभिलेखीकरण किया जाय।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रत्येक माह कार्यदायी संस्था के साथ बैठक कर कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे एवं प्रत्येक दूसरे माह पर कार्यक्रम की प्रगति से जनपद स्तरीय समिति को अवगत करायेंगे।
- कार्यक्रम की प्रगति आख्या प्रत्येक माह राज्य परियोजना कार्यालय तथा साक्षरता एवं वैकल्पिक निदेशालय को प्रेषित की जाय। (प्रारूप संलग्नक-3)
- प्रशिक्षणोपरान्त बच्चों को कार्यदायी संस्था द्वारा दक्षता प्रमाण पत्र प्रधानाध्यापक, जिला समन्वयक संस्था संचालक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से दिया जाय। प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है। (प्रारूप संलग्नक-4)

[illegible] कार्यदायी संस्था द्वारा कार्यक्रम संचालित [illegible] राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया [illegible]। ([illegible])

कार्यक्रम की समय सारिणी

क्रम	कार्य	निर्धारित तिथि
1	गत वर्ष चयनित विद्यालयों का पुनरावलोकन/नवीन विद्यालयों का चयन	10 जुलाई, 2010 तक
2	ट्रेड की अभिरुचि हेतु बच्चों एवं अभिभावकों से सम्पर्क	15 जुलाई, 2010 तक
3	ट्रेड चयन हेतु संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त कर ग्राम/वार्ड शिक्षा समिति से सहमति प्राप्त कर जिला स्तरीय समिति की बैठक में अनुमोदन	25 जुलाई, 2010 तक
4	प्राप्त प्रस्तावों का विश्लेषण कर कार्यदायी संस्था के चयन हेतु पत्रावली जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।	5 अगस्त, 2010 तक
5	जनपद स्तरीय समिति द्वारा कार्यदायी संस्था का चयन	10 अगस्त, 2010 तक
6	कार्यक्रम का संचालन	16 अगस्त, 2010 तक

कृपया उपरोक्तानुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के कौशल विकास कार्यक्रम के संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक उपरोक्त

भवदीय,

(अशोक गांगुली)

अपर राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0 [illegible] /2010-11 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद।
2. निदेशक, साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं, उ.प्र., लखनऊ।
3. निदेशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, उ0प्र0।
4. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन, उ0प्र0।
5. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उ0प्र0।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद उ.प्र.।
7. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल उ.प्र.।
8. जिला समन्वयक (वैकल्पिक शिक्षा), समस्त जनपद, उ.प्र।

11.5.10

(दिनेश बाबू शर्मा)

अपर परियोजना निदेशक

कौशल विकास कार्यक्रम हेतु प्रस्तावित ट्रेड की सूची

क्र0 सं0	ट्रेड	मुख्य पाठ्यक्रम
1.	मुद्रण तकनीक	1.स्क्रीन प्रिन्टिंग 2.फोटो लैमिनेशन 3.बुक बाइन्डिंग, कवर एवं फाइल बनाना।
2.	सिलाई एवं कटाई	1.ड्रेस मेकिंग एवं डिजाइनिंग 2.फैन्सी ड्रेस कटिंग 3.तकिया कवर बनाना 4.साड़ी कवर बनाना 5.बुटीक
3.	बुनाई एवं कढ़ाई	1.शेटल कढ़ाई 2.अनककोडी निटिंग 3.क्रॉस स्टिचिंग वर्क 4.हैण्ड इम्ब्रॉइडरी 5.काश्मीरी स्टिचेज 6.जरदोजी वर्क 7.मैक्रोमे वर्क 8.एप्लिक एवं पैच वर्क 9.ऊनी बुनाई 10.फुलकारी वर्क 11.कांथी, [illegible] वर्क
4.	कुटीर उद्योग	1.फाइल, फोल्डर बनाना 2.पेपर बैग 3.बॉक्स मेकिंग 4.डोर मैट एवं क्वायर मैट बनाना 5.पतंग बनाना 6.मोमबत्ती बनाना 7.लिफाफा बनाना 8 अगरबत्ती व धूपबत्ती बनाना
5.	हस्तकला	1.पैचवर्क [illegible] एवं आभूषण बनाना

		3. [illegible] बनाना 4. [illegible] बनाना 5. सॉफ्ट टॉयज़ बनाना 6. राखी बनाना 7. निष्प्रोज्य चीजों से उपयोगी वस्तुएँ बनाना 8. कृत्रिम फूल बनाना, फूलों की सजावट, बुके बनाना
6.	कला, चित्रकारी एवं पेंटिंग	1. सिरेमिक, इम्बोज़, ग्लास, पॉट, क्राफ्ट, फेब्रिक, आयल पेंटिंग 2. बैनर एवं साइन बोर्ड बनाना 3. टाई एण्ड डाई
7.	कुकरी, बेकरी, खाद्य प्रसंस्करण	1. विशेष मिठाई बनाना 2. अचार बनाना 3. जेम, जैली बनाना 4. फल संरक्षण 5. सॉस व जूस बनाना
8.	ब्यूटी कल्चर एवं हेल्थ केयर	1. मेंहदी/हिना लगाना 2. मेकअप करना, बाल काटना व सेटिंग करना
[illegible]	[illegible]	1. [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] नाटक एवं [illegible] 2. फोटोग्राफी 3. नर्सरी तैयार करना 4. प्लम्बरिंग एवं सैनेटरी सम्बन्धी कार्य
स्थानीय आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अन्य कौशलों का चयन जनपद स्तरीय समिति के अनुमोदन से किया जा सकता है।		

संलग्नक-1

[illegible] के अन्तर्गत [illegible] कौशल विकास कार्यक्रम का अनुश्रवण पत्र

निरीक्षण की तिथि		निरीक्षण का समय	

कार्यदायी संस्था का नाम	
पता	

चयनित उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम	

कार्यक्रम पूर्व से संचालित है अथवा नवीन	

उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का नाम	
मोबाईल नम्बर/फोन नम्बर	

न्याय पंचायत/वार्ड		विकास खण्ड/जोन	

संचालक संस्था को धन अवमुक्त किये जाने की स्थिति	—

प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम एवं समय सारिणी प्रदर्शन की स्थिति	

बच्चों की उपस्थिति

कक्षा	विद्यालय में कुल नामांकित बच्चों की संख्या		कौशल विकास कार्यक्रम हेतु चयनित बच्चों की संख्या		चयनित बच्चों की उपस्थिति		चयनित बच्चों में अल्पसंख्यक बच्चों की संख्या		चयनित बच्चों में अल्पसंख्यक बच्चों की उपस्थिति	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
6										
7										
8										
योग										

[illegible]

[illegible]	[illegible] (हां/नहीं)	अनुदेशक द्वारा ट्रेड सम्बन्धी शिक्षण						[illegible] किस माह तक दिया गया।	[illegible] भुगतान [illegible] का कारण
		सप्ताह में प्रशिक्षण दिये जाने वाले दिनों की संख्या	दैनिक प्रशिक्षण अवधि	ट्रेड से सम्बन्धित पाठ्यक्रम विभाजन (साप्ताहिक/मासिक विभाजन) के अनुसार शिक्षण (हां/नही)	सैद्धान्तिक शिक्षण (हां/नही)	प्रयोगात्मक शिक्षण (हां/नही)	मूल्यांकन किये जाने की स्थिति(हां/नही)		

o [illegible] की स्थिति के कारण

ट्रेड वार बच्चों की सम्प्राप्ति का स्तर

क्र.सं.	ट्रेड का नाम	ट्रेड से सम्बन्धित प्रशिक्षण की कुल अवधि		बच्चों को प्रशिक्षण सामग्री उपलब्धता (हां/नही)	बच्चों द्वारा प्रयोग की स्थिति	निरीक्षण अवधि तक सीखने के लक्ष्य	उपलब्धि	अपेक्षित उपलब्धि [illegible] की दशा में अनुदेशक द्वारा किये गये प्रयास।
		कब से	कब तक					
1								

सामग्री [illegible] की स्थिति

क्र.सं.	उपलब्ध प्रशिक्षण सामग्री की सूची	वर्ष 2009–10 की अवशेष सामग्री	2010–11 में नवीन क्रय की गयी सामग्री	प्रयोग की स्थिति
1.				
2.				
3.				

नोट: सामग्री की सूची संलग्न करें अथवा गत पृष्ट पर अंकित करें।

निरीक्षण की स्थिति

गत माह तक कुल निरीक्षण	वर्तमान माह में निरीक्षण की संख्या								
	NPRCC	BRCC	ABSA/NSA	MENTOR	D.C	Dy BSA	BSA	[illegible]	[illegible]

निरीक्षण कर्ता द्वारा कार्यक्रम सम्बन्धी फोटोग्राफ संलग्न किये जाये।

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]	[illegible]	सम्पर्क व्यक्ति [illegible] का नाम एवं मो0 नं0	कक्षा	प्रशिक्षक का नाम एवं मो0 नं0	चयनित [illegible] संख्या			चयनित संस्था का नाम एवं पता	[illegible] का नाम	[illegible]		[illegible] का [illegible]	[illegible]	[illegible] विवरण
					अल्पसंख्यक	अन्य	कुल			प्रशिक्षण आरम्भ होने की तिथि	किस तिथि तक संचालित रहेगा			
1			6											
			7											
			8											
[illegible]			[illegible]											
			7											
			8											
[illegible]			6											
			7											
			8											
4			6											
			7											
			8											
5			6											
			7											
			8											
	[illegible]													

हस्ताक्षर जिला समन्वयक वैकल्पिक शिक्षा

हस्ताक्षर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

संलग्नक–13

अल्प संख्यक बाहुल्य जनपदों में कौशल विकास कार्यक्रम | जनपद का नाम | सूचना तिथि

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम,	सम्बन्धित प्रधानाध्यापक का नाम एवं मो0 न0	कक्षा	प्रशिक्षक का नाम एवं मो0 न0	चयनित छात्रों की संख्या			चयनित संस्था का नाम एवं पता	चयनित ट्रेड का नाम	ट्रेड की अवधि		ट्रेड का लक्ष्य		
					अल्प संख्यक	अन्य	कुल			प्रशिक्षण आरम्भ होने की तिथि	किस तिथि तक संचालित होगा			
			6											
			7											
			8											
			6											
			7											
			8											
			6											
			7											
			8											
4			6											
			7											
			8											
			6											
			7											
			8											

हस्ताक्षर जिला समन्वयक वैकल्पिक शिक्षा

हस्ताक्षर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

संलग्नक-4

सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 के अन्तर्गत संचालित कौशल विकास कार्यक्रम

2010-2011

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री0/कु0.......................................पुत्र/पुत्री.......................ने सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय...........................में संचालित कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत.......................ट्रेड/ट्रेडों में सफलतापूर्वक ....माह से........................ माह तक का प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

प्रधानाध्यापक	जिला समन्वयक	संचालक संस्था	जिला बेसिक शिक्षा
उच्च प्राथमिक विद्यालय	(वैकल्पिक शिक्षा)	(नाम व मुहर)	अधिकारी
नाम	जनपद-	जनपद-	जनपद-

[illegible] जनपदों में संचालित कौशल विकास कार्यक्रम के अभिलेखीकरण हेतु बिन्दुओं का विवरण

1 लाभार्थियों का विवरण।

- चयनित विद्यालयों के नाम
- विद्यालय में कक्षावार, जातिवार नामांकन नामांकित एवं कार्यक्रम हेतु चयनित बच्चों की संख्या
- कक्षा वार चयनित बच्चो का लिंग वार संख्या

2 प्रशिक्षण का विवरण।

- कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों का तिथिवार उल्लेख करें।
- कार्यक्रम हेतु कार्यदायी संस्था के चयन की प्रक्रिया
- चयनित संस्थाओं का नाम एवं पते
- चयनित ट्रेड का नाम
- ट्रेड के पाठ्यक्रम की अवधि (कब से कब तक)
- प्रतिदिन कितने घण्टे एवं सप्ताह में कितने दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हुआ।
- प्रशिक्षक/अनुदेशकों के नाम
- प्रशिक्षित बच्चों की प्रशिक्षणोपरान्त परीक्षा एवं प्रमाणपत्र वितरण का विवरण।
- बच्चों को उपलब्ध करायी गयी सामग्री की सूची एवं मूल्य
- विद्यालय स्तर पर उपलब्ध करायी गया सामग्री

3 बजट का विवरण

- ट्रेडवार स्वीकृत बजट
- संस्था को किस्त एवं तिथिवार कितना बजट उपलब्ध किया गया।
- संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया उपभोग प्रमाणपत्र का विवरण।
- संस्था स्तर पर अवशेष धनराशि का विवरण।
- संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखीकरण का विवरण।
- डीपीओ स्तर पर इस मद में अवशेष धनराशि का विवरण।

4 कार्यक्रम का अनुश्रवण।

- संस्था द्वारा कार्यक्रम के अनुश्रवण की व्यवस्था का विवरण।
- संस्था द्वारा संचालित कार्यक्रम के सम्बन्ध में डीपीओ की मूल्यांकन आख्या।
- अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षणों की छायाप्रति, कार्यक्रम सम्बन्धी पेपर कटिंग/ फोटो ग्राफ आदि

5 समुदाय एवं अन्य विभागों का सहयोग

- कार्यक्रम संचालन मे स्थानीय स्तर पर अन्य विभाग या समुदाय कोई उल्लेखनीय सहयोग मिला हो तो उल्लेख करें।

6 समस्याओं के सापेक्ष सफल रणनीतियों का उल्लेख अभिलेखीकरण में करें

7 फोटोग्राफ अखबार कटिंग, सी०डी, डी०वी०डी आदि संलग्न करें।